भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1150
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

विपणन प्रथाओं के लिए समान संहिता

†1150. श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेलः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दवा कंपनियों के लिए विपणन प्रथाओं के लिए समान संहिता (यूसीओएमपी 2024) नामक एक नई विपणन संहिता जारी की है और यदि हां, तो उसमें दिए गए नए दिशानिर्देशों के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सही है कि डॉक्टरों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों के एक वर्ग ने उक्त दिशानिर्देशों को खारिज कर दिया है क्योंकि इनके तहत कंपनियां अभी भी अपनी अनैतिक विपणन प्रथाओं को जारी रखने में सक्षम होंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सही है कि नई संहिता वर्ष 2015 में प्रस्तुत की गई इसी तरह की संहिता का ही परिवर्धित संस्करण है जिसमें वही खामियां थीं जो नई संहिता में मौजूद हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): औषध विभाग ने दिनांक 12.03.2024 को औषध विपणन पद्धतियों के लिए एकसमान संहिता (यूसीपीएमपी), 2024 अधिसूचित की, जिसने पूर्ववर्ती यूसीपीएमपी, 2015 को प्रतिस्थापित किया। इस संहिता में बाद में सितंबर, 2025 में संशोधन किया गया। इस संहिता की एक प्रतिलिपि औषध विभाग की वेबसाइट - https://pharma-com/dept.gov.in/policy/uniform-code-pharmaceutical-marketing-practices-ucpmp-2024-reg पर उपलब्ध है।

(ख): सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग): यूसीपीएमपी, 2024 संहिता के पूर्ववर्ती संस्करण को प्रतिस्थापित करती है और औषध कंपनियों द्वारा नैतिक विपणन कार्यकलापों को नियंत्रित करने वाले ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए संशोधित प्रावधानों को शामिल करती है। इनमें, अन्य बातों के अलावा, औषध विपणन कार्यकलापों के लिए नैतिकता

समितियों (ईसीपीएमपी) का गठन, औषध कंपनियों द्वारा नैतिकता अधिकारियों की नियुक्ति, एक संरचित शिकायत निवारण और अपील तंत्र, अनुपालन के संबंध में स्व-घोषणा प्रस्तुतीकरण और निर्धारित विपणन व्यय का प्रकटीकरण शामिल है।

इस संहिता में औषध कंपनियों और स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसायियों/स्वास्थ्य परिचर्या संगठनों के बीच प्रचार गतिविधियों से संबंधित सम्पर्कों को नियंत्रित करने वाले उन्नत प्रावधान भी शामिल हैं। वर्ष 2025 में अधिसूचित संशोधनों ने कंपनियों के लिए संबंधित प्लेटफॉर्म पर उनके द्वारा किए गए विपणन व्यय के संबंध में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक करके कार्यान्वयन और प्रकटीकरण आवश्यकताओं को और अधिक सुव्यवस्थित किया है।
